पत्रांक 1/12/2018 वीएस (सीआरएस)/ 385-386

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi - 110066
ई-मेल : drg-crs.rgi@nic.in sandhya.singh@nic.in djam.rgi@nic.in दिनांक - 05/08.09.2017

स्पष्टीकरण/व्याख्या

विषय:- किसी व्यक्ति की मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार नंबर की आवश्यकता के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 1/12/2014-वीएस-सीआरएस दिनांकित 04-08-2017 जो राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया था में इसका संदर्भ है, जिसमें 1 अक्टूबर, 2017 से मृत्यु के पंजीकरण में आधार संख्या के प्रयोग के लिए लिखा गया था।

2. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक और आम जनता को होने वाली असुविधा से बचने के लिए, यह कहना है कि उपरोक्त अधिसूचना की व्याख्या को इस प्रकार माना जा सकता है-

"अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया है कि, यदि उपलब्ध हो तो, आवेदक मृतक का आधार संख्या या नामांकन आईडी संख्या प्रदान कर सकता है, यदि उपलब्ध है और मृत्यु पंजीकरण/प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में मांगे गए अन्य विवरणों को प्रदान कर सकता है । यदि मृतक का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक से इस आशय की घोषणा प्राप्त करना ही पर्याप्त होगा । इसी तरह आवेदक अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, यदि उपलब्ध हो तो, अपना स्वयं का आधार संख्या और पति या पत्नी और माता-पिता का आधार नंबर उपलब्ध करा सकता है। इसलिए आधार नंबर की अनिवार्यता जरूरी नहीं है।"

3. उक्त अधिसूचना दिनांक 04-08-2017 के संबंध में उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है तदनुसार संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश/ स्पष्टीकरण जारी करें तथा उसकी प्रति इस कार्यालय को भेजें।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।